



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222333
CG-DL-E-09102020-222333

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3110]
No. 3110]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3497(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1322 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 23 अप्रैल, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया था;

और, थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, दुमाकूरु जिला के मधुगिरि और कोराटागेरे तालुकों में स्थित है जो कि अक्षांश 13°34' उ और 13°39' उ और देशांतर 77°05' पू और 77°13' पू के बीच स्थित है, इसका कुल भौगोलिक

क्षेत्रफल 50.86 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित है, यह वन्यजीव के संरक्षण के लिए अधिसूचना सं. एफईई-301 एफडब्ल्यूएल-2015-1 बेंगलूरु, तारीख 16 जनवरी, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और, थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य वनस्पति एब्रुस प्रेकटोरियस, एब्रुस पुल्वेल्लुस, एबुतिलोन इंडिकम, अकैशिया लेउकोफोलिया, अकैशिया निलोटिका, अचिरन्थेस एस्पेरा, अडाथोडा वासिका, एगेव अमेरिकाना अलांगियम साल्विफोलियम, अल्बेजिया अमारा, अल्बेजिया लेब्बेक, अल्बिजिया ओडोरिटीसीमा, एंड्रोग्राफिस पैनिकुलाटा, अरगेमोन मेक्सिकाना, अरिस्टोलोचिया इंडिका, अस्पारागुस रेकेमोसुस, बोइरहेविआ डिफुसा, बॉम्बेक्स सीइवा, बोसवेलिया सिराटा, बुकानानिया एक्सिलैरिस, ब्यूटिया मोनोस्पर्म, कैलोट्रोपिस गिगेंटिया, कैन्थियम कोरोमांडेलिकम, केराल्लुमा एडसेंटेन्स, केरिया अरबोरिया, कैसिया ऑरिकुलाटा, कैसिया फिस्टुला, कैसिया मिमोसोइड्स, कैसिया तोरा, डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन, डोडोनाका विस्कोसा, यूपाटोरियम ओडोरातुम, यूफोरबिया हिरता, इवोल्बुलस अलसिनोइड्स, फेरोनिया क्लेफंटूम, फिकस बेंगालेंसिस, फायकस रसीमोजा, फ्लूइगीया ल्यूकोफ्लोआ, गार्डेनिया गुम्मीफेरा, गरुगा पिनाटा, गिवोटिया मोलूक्कानाना, गलोरिओसा सुपेरबा, पटेरोकार्पस मार्सुपियम, सीडा अकुटा, सिडा कॉर्डिफोलिया, सिज़िगियम जम्बोस, सिज़िगियम क्यूमिनी, टैमारिंडस इंडिका, टेक्टोना ग्रांडिस, टर्मिनलिया बेल्लीरिका, टर्मिनलिया चेबुला, ग्रेविया हिर्सुटा, जिमनेमा सिल्वेस्ट्रे, टर्मिनलिया कोरिएसिया, टर्मिनलिया पैनिकुलता, थेवेटिया नेरीफोलिया, मधुका लतीफोलिया, मल्लोटस फिलिपिनेंसिस, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टोडालिया अकुलेटा, ट्राइडैक्स प्रोकुम्बेंस, विस्कुम ओरिएंटेल, आदि उपलब्ध हैं;

और, थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के चट्टानी क्षेत्र, झाड़ी जंगल में वन्यजीव जैसे रीछ, तेंदुआ, साल, गंधबिलाव, बनबिलार, बनैला सूअर, सियार, साही, ब्लैक नेपड खरगोश, रूड्डी नेवला, आदि के लिए आदर्श वास है, जिसमें कुछ अनुसूची I की प्रजातियां हैं और यह पक्षियों और सरीसृपों की लगभग 150 प्रजातियों जैसे कछुआ, रुसेल वाईपर, रेड सैंड बोआ, कोबरा आदि के लिए भी वास बनाता है;

और, थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु भारतीय मोल चूहा (कोटा बेंगालेंसिस), सियार (कैनिस् ऑरियस), भारतीय लोमड़ी (कैनिस् लुपुस), सांभर (केरवुस यूनीकोलर), शार्ट नॉजड फ्रूट बैट (कीनोप्टेरुस स्किंक्स), बनबिलार (फेलिस चाउस), श्री स्ट्रिप्ड पाल्म गिलहरी (फुनाम्बुलुस पाल्मारूम), भारतीय बुश चूहा (गूलुडा इल्लीओटी), सामान्य भारतीय नेवला (हेरपिस्टिस एडवर्डसी), भारतीय साही (हिस्ट्रीक्स इंडिका), स्ट्रिप्ड लकड़बग्घा (फयैइना हेयना), ब्लैकनेप्पड खरगोश (लेपुस निगरिकोल्लिस), बोन्नेट मकाक्यू (मकाका रेडिअटे), भारतीय साल (मानिस क्रॉसिसोडटा), रीछ (मेलर्सस अरसिनस), मुंजक (मुनटीक्स मुनतजक), हाउस माउस (मुस मुस्कुलुस), भारतीय फील्ड माउस (मुस बौदुगा), सामान्य तेंदुआ (पेन्थेरा प्रड्यूस), भारतीय फ्लाइंग बैट (पटेरोपस गिगांटेउस), चूहा (राट्टुस राट्टुस), बनैला सूअर (सस स्क्रोफ़ा) आदि उपलब्ध हैं;

और, यह पर्यावरण द्वारा थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य की परिधि के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन की स्थापना करके रीछ, तेंदुआ और अन्य लुप्तप्राय जीवजंतु जैव-विविधता और वन्यजीव का संरक्षण और सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है;

और, थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पारिस्थितिकी पर्यावरणीय से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, जैव विविधता की दृष्टि सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, कर्नाटक राज्य के तुमाकुरु जिले के थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.00 किलोमीटर से 2.20 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1.00 किलोमीटर से 2.20 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 61.80 वर्ग किलोमीटर है।

(2) थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सीमांकन को दर्शाते हुए थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख और उपाबंध-IIग** के रूप में संलग्न है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध- III** की सारणी क और सारणी ख में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

(6) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत रिज़र्व वन और थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व क्षेत्रों का विवरण **उपाबंध-V** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना- (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा भी तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी:-

- (i) पर्यावरण;
- (ii) वन और वन्यजीव;
- (iii) कृषि;
- (iv) राजस्व;
- (v) शहरी विकास;
- (vi) पर्यटन;
- (vii) ग्रामीण विकास;
- (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

- (ix) नगरपालिका;
- (x) पंचायती राज; और
- (xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के व्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैरा-4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक नगर योजना विधि और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अधीन अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई गलती, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोतों.- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूर्ण और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.-** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, साधारणों मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में वाहन प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और बृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	नई लकड़ी आधारित उद्योग।	प्रतिषिद्ध।

आ. विनियमित क्रियाकलाप		
11.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
12.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों की स्थापना; (iv) ग्रामीण उद्योगों सहित कुटीर उद्योगों, सुविधा भण्डारों और गृह-वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाओं की व्यवस्था; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप। परंतु यह कि गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
13.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे।
15.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
19.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्तारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्वाह के निस्तारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःचक्रण और पुनःउपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
30.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे।

इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
31.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पदानिधान
(i)	प्रादेशिक आयुक्त, बेंगलुरु	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	माननीय विधान सभा सदस्य, मधुगिरी और कोराटागेरे निर्वाचन क्षेत्र, टुमाकूर जिला	सदस्य;
(iii)	कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	कर्नाटक सरकार द्वारा प्राकृतिक संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vii)	कर्नाटक सरकार के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ को कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(viii)	उप आयुक्त या उनके प्रतिनिधि, टुमाकूर जिला	सदस्य;
(ix)	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(x)	उप वन संरक्षक, टुमाकूर प्रभाग, टुमाकूर	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश-निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन तक के लिए होगा और तत्पश्चात् निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे अनुसूची में क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध VI में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्वधीन होंगे।

[फा. सं. 25/02/2020-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

कर्नाटक राज्य में थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

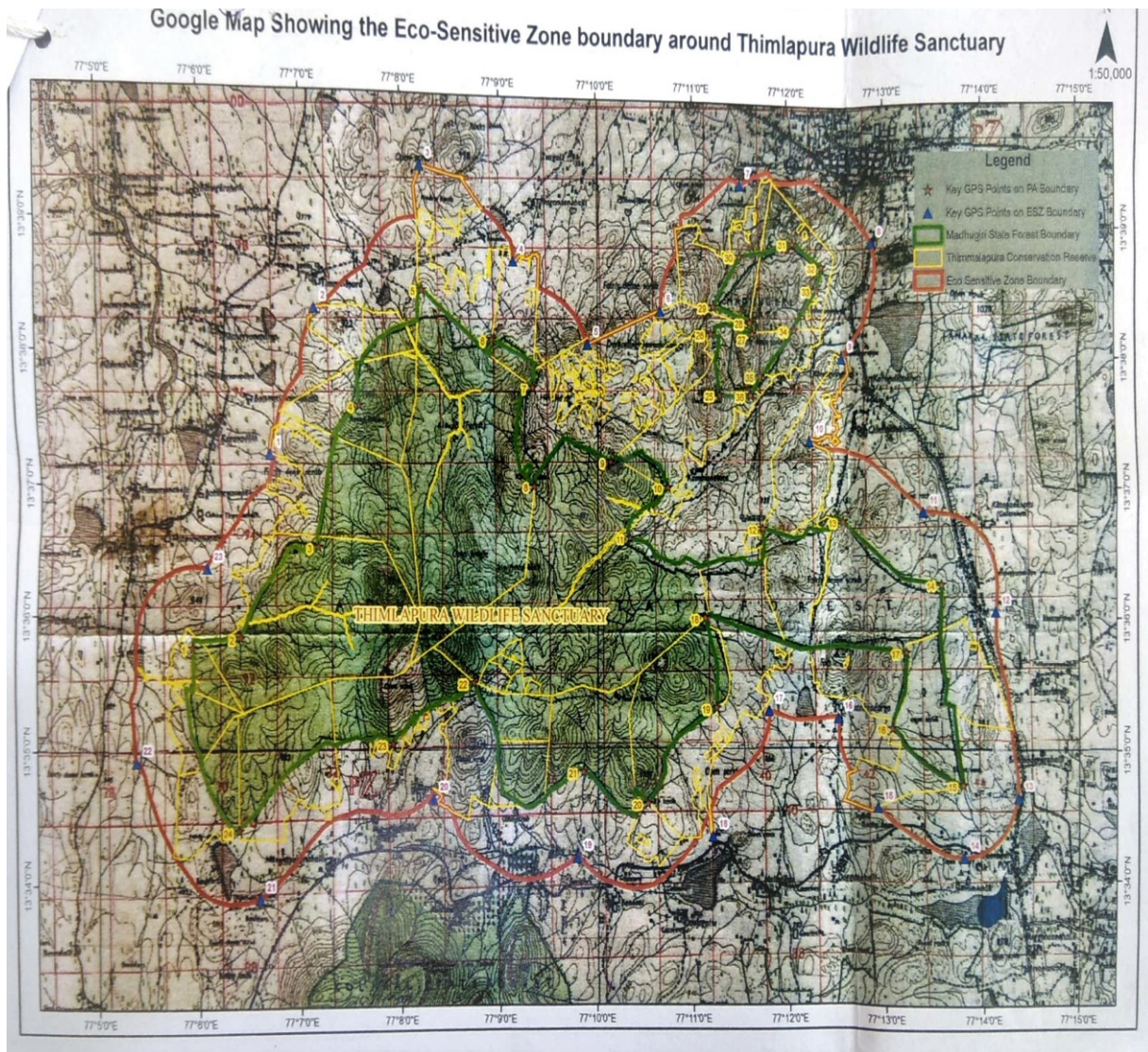
उत्तर:	सीमा रेखा अभयारण्य सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में कावनडाला और बोम्मे थीम्मानाहल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा पर बिंदु से आरंभ होती है और भू-निर्देशांक उ 13 38 20.44 पू 077 07 7.58 के साथ बिंदु से होते हुए ग्रामों बोम्मे थीम्मानाहल्ली, थिमलापुर, सज्जेनाहल्ली, बेगुरुदासाराहल्ली और होसल्ली ग्रामों से होते हुए जाती है यह थिमलापुर संरक्षण रिज़र्व की सीमा पर होसल्ली पर बिंदु पहुंचती है। इस बिंदु से सीमा रेखा अभयारण्य सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में होसल्ली ग्राम से होते हुए थिमलापुर संरक्षण रिज़र्व के साथ सीमा पर उत्तर, उत्तर-पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में पुनः जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 39 27.39 पू 077 08 11.79 के साथ बिंदु से होते हुए होसल्ली और थाईगोंनदानाहल्ली ग्रामों की सीमा पर सामान्य बिंदु पहुंचती है और इसके अतिरिक्त सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में थाईगोंनदानाहल्ली की ग्राम सीमा के साथ जाती है यह थिमलापुर संरक्षण रिज़र्व की सीमा पर भू-निर्देशांक उ 13 38 43.69 पू 077 09 08.11 के साथ बिंदु पहुंचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा थाईगोंनदानाहल्ली ग्राम के थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा के साथ जाती है यह थाईगोंनदानाहल्ली ग्राम और थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा थूनगोटे ग्राम पर सामान्य बिंदु पहुंचती है, इसके बाद रेखा थूनगोटे ग्राम पर अभयारण्य सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में थूनगोटे ग्राम के थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व के साथ पूर्व की ओर और दक्षिण की ओर जाती है और इसके अतिरिक्त अभयारण्य सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 38 06.37 पू 077 09 54.42 के साथ थूनगोटे और जे.आई कूप्पाचरीकोप्पा ग्राम की सीमा पर सामान्य बिंदु पहुंचती है। इसके बाद जे.आई कोप्पाचरीकोप्पा पर थिमलापुर संरक्षण रिज़र्व की सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा में पुनः जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 38 21.98 पू 077 10 39.81 के साथ बिंदु पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा जे. आई सोमलापुरा और गुराम्मानाकट्टे ग्रामों पर अभयारण्य सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु से समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा और थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा के साथ उत्तर और पूर्व दिशा में पुनः पर बिंदु पहुंचती है और इसके अतिरिक्त अभयारण्य सीमा पर बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 39 21.65 पू 077 11 30.48 के साथ बिंदु से होते हुए गुराम्माकट्टे और मधुगिरि ग्रामों की सीमा पर सामान्य बिंदु पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा मधुगिरि, हरीहाराकोप्पा और कम्मानाकोटे ग्रामों पर भू-निर्देशांक 38 54.77 पू 077 12 53.36 के साथ बिंदु से होते हुए अभयारण्य सीमा के समानांतर बाहरी मुख्य बिंदु से 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 38 01.24 पू 077 12 35.27 के साथ थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा पर बिंदु पहुंचती है।
पूर्व:	उपर्युक्त बिंदु से सीमा रेखा थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा के साथ पुनः जाती है यह जिनाकावजरा ग्राम पर भू-निर्देशांक उ 13 37 22.66 पू 077 12 14.23 के साथ बिंदु पहुंचती है। इसके बाद रेखा कुछ दूरी के लिए थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा के साथ पूर्वी दिशा में जाती है और इसके बाद भू-निर्देशांक उ 13 36 48.97 पू 077 13 25.09 के साथ बिंदु से होते हुए मधुगिरि तालुक के जीनाकावजरा ग्राम की अभयारण्य सीमा से बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में

	जाती है यह जीनाकावजरा और दासाराहल्ली ग्रामों की सीमा की सामान्य सीमा पर भू-निर्देशांक उ 13 36 2.71 पू 077 14 8.63 के साथ बिंदु में मधुगिरि और कोराटागेरे तालुका सीमा की सामान्य सीमा पहुंचती है। इस बिंदु से रेखा कोराटागेरे तालुका के दासाराहल्ली, तुमबड़ी, बीरादेनाहल्ली और ब्यरेनाहल्ली ग्रामों पर अभयारण्य सीमा के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में पुनः जाती है यह थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा पर चेन्नारायानादुर्गा और ब्यरेनाहल्ली ग्रामों पर सामान्य बिंदु पहुंचती है और भू-निर्देशांक उ 13 34 10.54 पू 077 13 48.03 और उ 13 34 37.85 पू 077 14 21.74 के साथ बिंदु से होते हुए जाती है।
दक्षिण :	भू-निर्देशांक उ 13 34 32.82 पू 077 12 56.22 के साथ उपर्युक्त बिंदु से सीमा रेखा ब्यरेनाहल्ली और चेन्नारायानादुर्गा ग्रामों पर थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त चेन्नारायानादुर्गा ग्राम पर अभयारण्य सीमा के बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 35 14.07 पू 077 12 32.07 और उ 13 35 17.52 पू 077 11 47.98 के साथ बिंदु से होते हुए चेन्नारायानादुर्गा और दोग्गानाहल्ली ग्रामों की सीमा पर सामान्य बिंदु पहुंचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा दोग्गानाहल्ली ग्राम पर अभयारण्य सीमा की बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा पहुंचती है और भू-निर्देशांक उ 13 34 19.77 पू 077 11 12.31 के साथ बिंदु होते हुए थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा से होते हुए जाती है। इस बिंदु से सीमा रेखा कुछ दूरी के लिए थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा के साथ जाती है और इसके अतिरिक्त दोग्गानाहल्ली, गोवजागाल्लू और बेनदोनी ग्रामों से होते हुए अभयारण्य सीमा के बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी से होते हुए जाती है यह बेनदोनी ग्राम पर भू-निर्देशांक उ 13 34 10.39 पू 077 09 47.43 के साथ बिंदु पहुंचती है और इसके अतिरिक्त अभयारण्य सीमा के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में बेनदोनी और कुमतेनाहल्ली ग्रामों पर सामान्य बिंदु पहुंचती है। इसके अतिरिक्त, रेखा बोदागवी ग्राम और कोलीकल रिज़र्व वन पर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है और इसके बाद रेखा अभयारण्य सीमा के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में और नेगालाला ग्रामों के साथ जाती है यह अभयारण्य सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी में थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा पर बिंदु पहुंचती है और इसके अतिरिक्त नेगालाला ग्राम पर थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा के साथ जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 34 37.36 पू 77 08 18.62 के साथ बिंदु पर पहुंचती है। इसके बाद रेखा भू-निर्देशांक उ 13 33 53.42 पू 077 06 35.06 से होते हुए कोराटागेरे तालुक के नेगालाला, मरिनायाकानाहल्ली, गट्टीम्मानाहल्ली और कनीवेहोसाहल्ली ग्रामों से होते हुए अभयारण्य सीमा के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है यह भू-निर्देशांक उ 13 34 54.84 पू 077 05 21.84 के साथ बिंदु में मधुगिरि और कोराटागेरे तालुकों की सामान्य बिंदु पर कनीवेहोसाहल्ली और बीसादीकरियानाप्लया ग्रामों की सीमा पर सामान्य बिंदु पहुंचती है।
पश्चिम:	उपर्युक्त बिंदु से रेखा भू-निर्देशांक उ 13 36 21.72 पू 077 06 2.57 के साथ बिंदु से होते हुए अभयारण्य सीमा की बाहरी मुख्य बिंदु के समानांतर 1 किलोमीटर की दूरी में मधुगिरि तालुक के बीसादीकरियानाप्लय, कुरमकोटेथीम्मानाप्या, कथीजोथीप्लया, शीबाईहानोप्लया, चीक्का थिम्मानाहल्ली और कावनडाला ग्रामों से होते हुए जाती है यह थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व सीमा पर बिंदु पहुंचती है और थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व की सीमा के साथ पुनः जाती है यह आरंभिक बिंदु पहुंचती है।

उपाबंध- ॥क

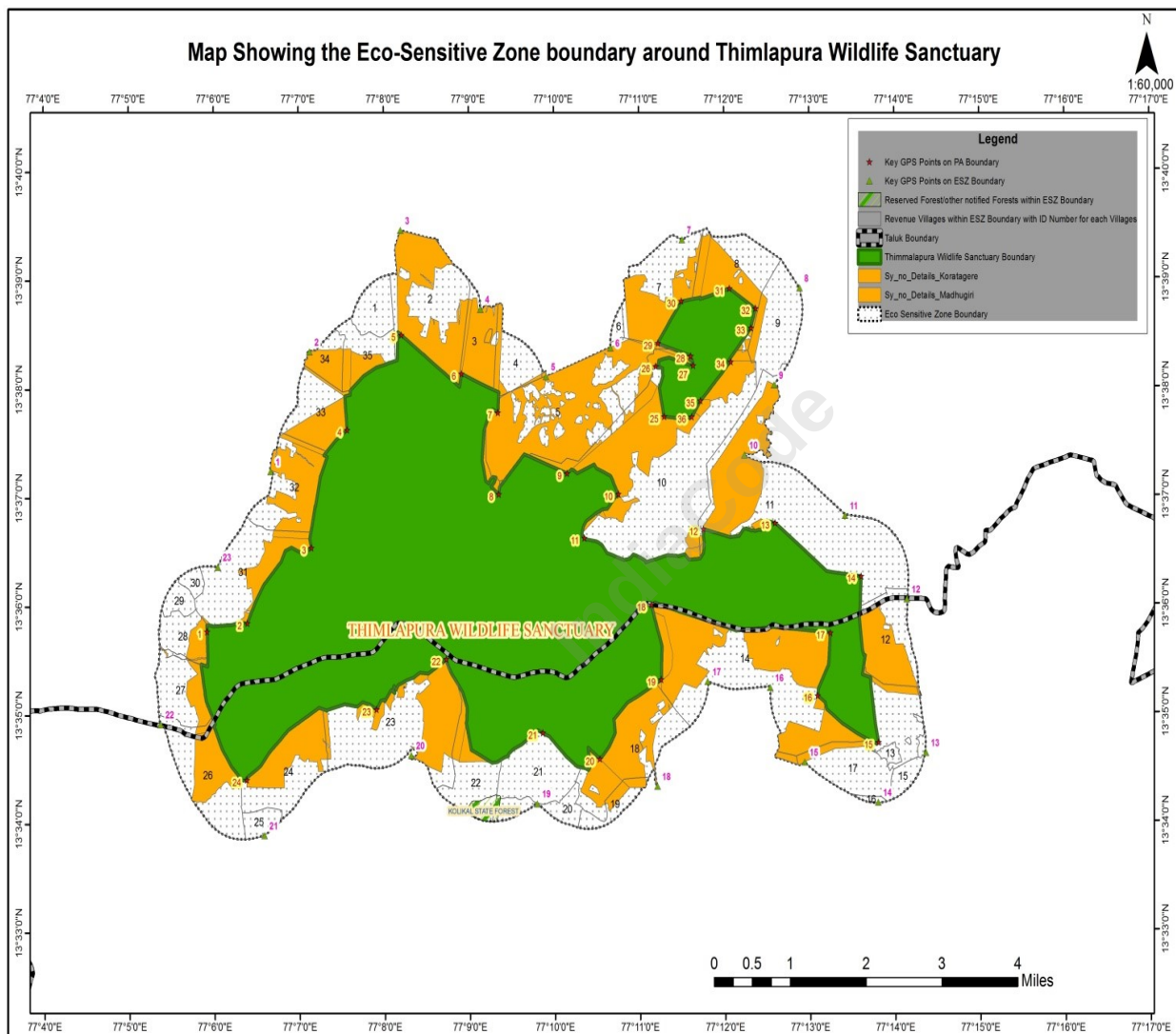
मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल

मानचित्र



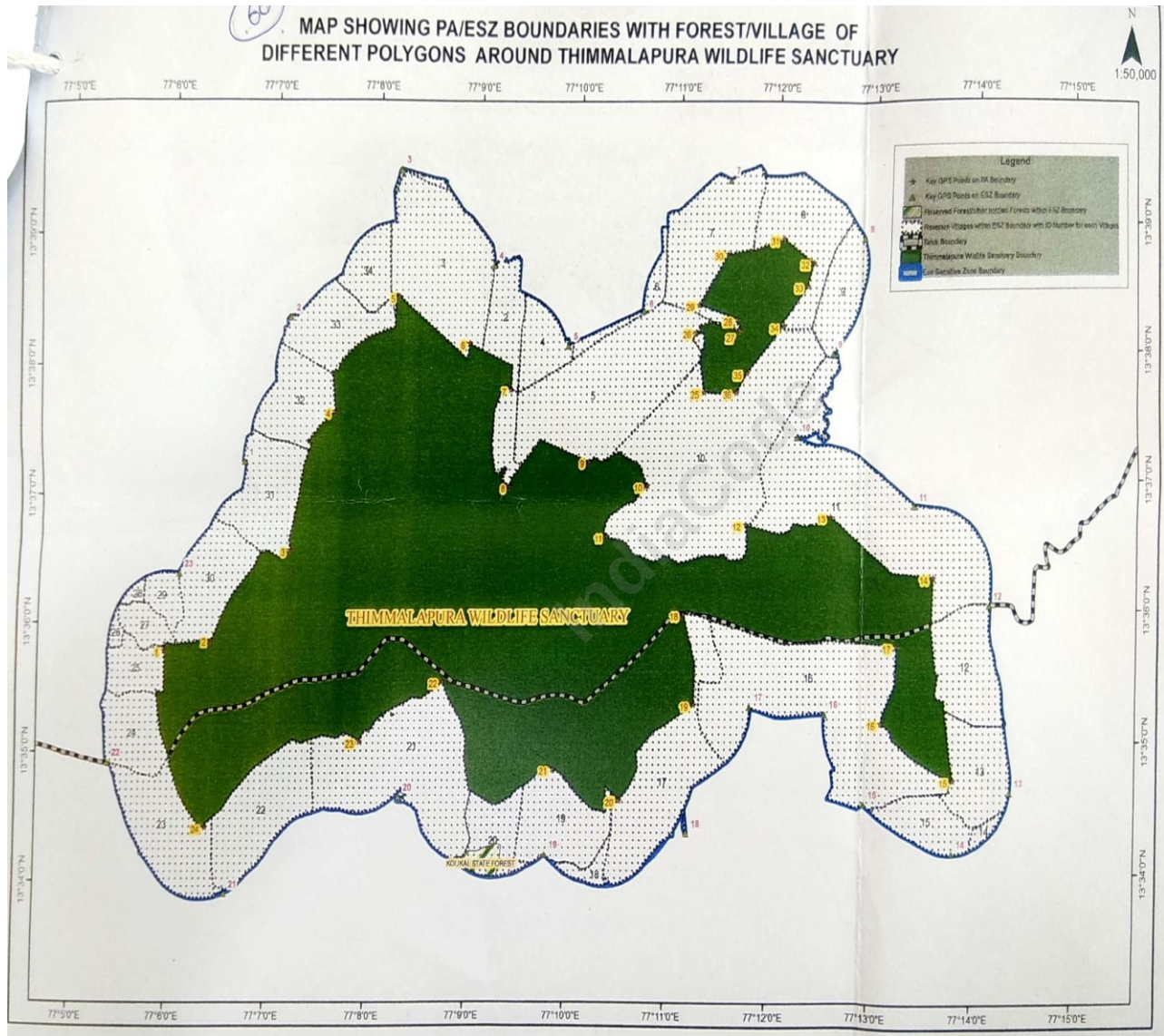
उपाबंध- IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग पैटर्न को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध- IIग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश (पू)			देशांतर (उ)		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	13	35	46.11	77	5	54.86
2	13	35	50.63	77	6	23.18
3	13	36	32.16	77	7	8.49
4	13	37	37.21	77	7	33.92
5	13	38	29.67	77	8	12.22
6	13	38	8.11	77	8	54.72
7	13	37	46.52	77	9	20.22
8	13	37	1.48	77	9	20.82
9	13	37	12.88	77	10	9.02
10	13	37	1.24	77	10	45.26
11	13	36	37.06	77	10	21.17
12	13	36	41.76	77	11	45.22
13	13	36	45.04	77	12	35.80
14	13	36	15.52	77	13	36.34
15	13	34	43.61	77	13	48.29
16	13	35	9.65	77	13	5.48
17	13	35	44.29	77	13	14.56
18	13	36	0.10	77	11	8.25
19	13	35	18.76	77	11	15.17
20	13	34	35.01	77	10	31.75
21	13	34	49.52	77	9	51.46
22	13	35	30.46	77	8	43.46
23	13	35	2.82	77	7	54.29
24	13	34	24.04	77	6	22.58
25	13	37	44.08	77	11	17.70
26	13	38	11.85	77	11	11.90
27	13	38	12.24	77	11	38.21
28	13	38	17.39	77	11	36.47

29	13	38	24.48	77	11	13.38
30	13	38	47.81	77	11	29.88
31	13	38	54.56	77	12	3.87
32	13	38	43.58	77	12	22.33
33	13	38	32.68	77	12	18.94
34	13	38	14.17	77	12	4.69
35	13	37	52.73	77	11	43.25
36	13	37	43.86	77	11	37.16

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र आई डी	अक्षांश (पू)			देशांतर (उ)		
	डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	13	37	14.45	77	6	39.95
2	13	38	20.44	77	7	7.58
3	13	39	27.39	77	8	11.79
4	13	38	43.69	77	9	8.11
5	13	38	6.37	77	9	54.42
6	13	38	21.98	77	10	39.81
7	13	39	21.65	77	11	30.48
8	13	38	54.77	77	12	53.36
9	13	38	1.24	77	12	35.27
10	13	37	22.66	77	12	14.23
11	13	36	48.97	77	13	25.09
12	13	36	2.71	77	14	8.63
13	13	34	10.54	77	13	48.03
14	13	34	37.85	77	14	21.74
15	13	34	32.82	77	12	56.22
16	13	35	14.07	77	12	32.07

17	13	35	17.52	77	11	47.98
18	13	34	19.77	77	11	12.31
19	13	34	10.39	77	9	47.43
20	13	34	37.36	77	8	18.62
21	13	33	53.42	77	6	35.06
22	13	34	54.84	77	5	21.84
23	13	36	21.72	77	6	2.57

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आईडी	ग्राम का नाम	तालुक	क्षेत्र (हेक्टेयर)	देशांतर			अक्षांश		
				डिग्री	मिनट	सेकेंड	डिग्री	मिनट	सेकेंड
1	बेगुरु दासाराहल्ली	मधुगिरि	66.43	77	7	53.94	13	38	44.07
2	होसाहल्ली	मधुगिरि	307.44	77	8	33.89	13	38	44.70
3	थाईगोनदानाहल्ली	मधुगिरि	93.35	77	9	7.50	13	38	25.87
4	थुनगोटे	मधुगिरि	84.07	77	9	30.68	13	38	15.17
5	जी.आई.कृष्णाचरीकोप्पा	मधुगिरि	464.09	77	10	9.29	13	37	49.22
6	जी.आई.सोमालापुरा	मधुगिरि	11.62	77	10	41.65	13	38	32.09
7	गुराम्मानाकट्टे	मधुगिरि	206.01	77	11	14.97	13	38	55.28
8	मधुगिरि	मधुगिरि	164.34	77	12	7.37	13	39	4.35
9	हरीहाराकोप्पा	मधुगिरि	147.92	77	12	37.08	13	38	35.26
10	कम्मानाकोटे	मधुगिरि	723.82	77	11	16.26	13	37	17.70
11	जिनाकावजरा	मधुगिरि	599.98	77	12	49.41	13	36	54.47
12	दसाराहल्ली	कोराटगेरे	157.15	77	13	55.46	13	35	40.30
13	पेम्मोदेवाराहल्ली	कोराटगेरे	20.74	77	14	5.11	13	34	41.29
14	चेन्नारायानादुर्गा	कोराटगेरे	680.55	77	12	36.19	13	35	17.27
15	तुमबडी	कोराटगेरे	27.72	77	14	7.16	13	34	24.89
16	बिरादेनाहल्ली	कोराटगेरे	5.47	77	13	43.06	13	34	12.36
17	ब्यरेनाहल्ली	कोराटगेरे	128.92	77	13	29.25	13	34	29.37
18	दोम्मानाहल्ली	कोराटगेरे	238.38	77	10	55.37	13	34	40.52
19	गोवजागाल्लू	कोराटगेरे	46.95	77	10	42.25	13	34	10.61

20	बेनदोनी	कोराटगेरे	57.05	77	9	50.65	13	34	8.09
21	कुमुतेनाहल्ली	कोराटगेरे	146.60	77	9	47.28	13	34	28.08
22	बूदीगाधी	कोराटगेरे	123.42	77	9	1.27	13	34	26.09
23	नेगालाला	कोराटगेरे	371.64	77	8	10.88	13	34	52.86
24	मरीनायाकानाहल्ली	कोराटगेरे	187.95	77	6	52.00	13	34	30.55
25	गट्टिम्मानाहल्ली	कोराटगेरे	31.92	77	6	32.58	13	34	0.79
26	कनीवेहोसाहल्ली	कोराटगेरे	198.52	77	5	54.98	13	34	26.75
27	विसादीकारियानप्लया	मधुगिरि	114.93	77	5	36.71	13	35	13.77
28	कुरुम्कोटेशिम्मानापाल्या	मधुगिरि	72.99	77	5	39.20	13	35	43.79
29	कत्थीजोगीपाल्य	मधुगिरि	28.97	77	5	34.92	13	36	3.28
30	शिबाइअहानापाल्या	मधुगिरि	17.75	77	5	45.17	13	36	13.74
31	चिक्काथिम्मानाहाल्ली	मधुगिरि	220.72	77	6	21.37	13	36	18.54
32	कावानादाला	मधुगिरि	173.00	77	6	54.49	13	37	5.68
33	बोम्मेथिम्मेनाहाल्ली	मधुगिरि	124.43	77	7	13.02	13	37	47.13
34	थिम्मालापुरा	मधुगिरि	50.73	77	7	21.03	13	38	16.12
35	सज्जेनाहल्ली	मधुगिरि	84.72	77	7	45.64	13	38	19.66
कुल			6180.27						

उपाबंध-V

थिमलापुरा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत रिज़र्व वन और थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व क्षेत्रों का विवरण

रिज़र्व वन का नाम	तालुक	विस्तार (वर्ग किलोमीटर में)	अधिसूचना संख्या
कोलीकल रिज़र्व वन	कोराटगेरे	0.2282	वन विभाग अधिसूचना 6 जून, 1894

संरक्षण रिज़र्व वन	तालुक	विस्तार (वर्ग किलोमीटर में)	अधिसूचना संख्या
थिमलापुरा संरक्षण रिज़र्व	मधुगिरि और कोराटगेरे	17.3822	सं. एफईई 301एफडब्ल्यूएल 2015-2 दिनांक 16 जनवरी, 2016

उपाबंध-VI

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2020

S.O. 3497(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1322(E), dated the 23rd April, 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 23rd April, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Thimlapura Wildlife Sanctuary situated in the Madhugiri and Koratagere Talukas of District Tumakuru, Karnataka lies between 13°34' N and 13°39' N latitude and 77°05' E and 77°13' E longitude, covering a total geographic area of 50.86 square kilometer was notified *vide* notifications No. FEE-301 FWL-2015-1 Bengaluru, dated the 16th January, 2016 for the conservation of the Wildlife;

AND WHEREAS, the major flora available in the Thimlapura Wildlife Sanctuary are *Abrus precatorius*, *Abrus pulchellus*, *Abutilon indicum*, *Acacia leucophloea*, *Acacia nilotica*, *Achyranthes aspera*, *Adathoda vasica*, *Agave americana*, *Alangium salviifolium*, *Albezia amara*, *Albezia lebbeck*, *Albizia odoritissima*, *Andrographis paniculata*, *Argemone mexicana*, *Aristolochia indica*, *Asparagus racemosus*, *Boerhavia diffusa*, *Bombax ceiba*, *Boswellia serrata*, *Buchanania axillaris*, *Butea monosperma*, *Calotropis gigantea*, *Canthium coromandelicum*, *Caralluma adscendens*, *Careya arborea*, *Cassia auriculata*, *Cassia fistula*, *Cassia mimosoides*, *Cassia tora*, *Diospyros melanoxylon*, *Dodonaea viscosa*, *Eupatorium odoratum*, *Euphorbia hirta*, *Evolvulus alsinoides*, *Feronia clephantum*, *Ficus benghalensis*, *Ficus racemosa*, *Flueggea leucophloea*, *Gardenia gummifera*, *Garuga pinnata*, *Givotia moluccana*, *Gloriosa superba*, *Pterocarpus marsupium*, *Sida acuta*, *Sida cordifolia*, *Syzygium jambos*, *Syzygium cumini*, *Tamarindus indica*, *Tectona grandis*, *Terminalia bellirica*, *Terminalia chebula*, *Grewia hirsuta*, *Gymnema sylvestris*, *Terminalia coriacea*, *Terminalia paniculata*, *Thevetia nerifolia*, *Madhuca latifolia*, *Mallotus philippinensis*, *Tinospora cordifolia*, *Toddalia aculeata*, *Tridax procumbens*, *Viscum orientale*, etc;

AND WHEREAS, the Thimlapura Wildlife Sanctuary's rocky terrain, scrub jungle is an ideal habitat for the wildlife such as sloth bear, leopard, pangolin, civet cat, jungle cat, wild boar, jackal, porcupine, black-naped hare, ruddy mongoose, etc, some of which are Schedule-I species and it also forms a habitat for about 150 species of birds and reptiles such as tortoise, russell's viper, red sand boa, cobra, etc;

AND WHEREAS, the major fauna available in the Thimlapura Wildlife Sanctuary are Indian mole rat (*Bandicota bengalensis*), jackal (*Canis aureus*), Indian fox (*Canis lupus*), sambar (*Cervus unicolor*), short nosed fruit bat (*Cynopterus sphinx*), jungle cat (*Felis chaus*), three striped palm squirrel (*Funambulus palmarum*), Indian bush rat (*Goluda ellioti*), common indian mongoose (*Herpestes edwardsii*), Indian porcupines (*Hystrix Indica*), striped hyena (*Fyaena hyaena*), blacknaped hare (*Lepus nigricollis*), bonnet macaque (*Macaca radiate*), Indian pangolin (*Manis crassicaudata*), sloth bear (*Melursus ursinus*), barking deer (*Muntiacus muntjak*), house mouse (*Mus musculus*), Indian field mouse (*Mus booduga*), common leopard (*Panthera pardus*), Indian flying bat (*Pteropus giganteus*), rat (*rattus rattus*), Indian wild boar (*Sus scrofa*), etc;

AND WHEREAS, it is important to conserve and protect the sloth bear, leopard and other endangered faunal biodiversity and wildlife therein and its environment by establishing an Eco-sensitive Zone along the periphery of the Thimlapura Wildlife Sanctuary;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Thimlapura Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.00 kilometre to 2.20 kilometres around the boundary of Thimlapura Wildlife Sanctuary, in Tumakuru district in the State of Karnataka as the Thimlapura Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) the details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1.00 kilometre to 2.20 kilometres around the boundary of Thimlapura Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 61.80 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Thimlapura Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Thimlapura Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Thimlapura Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table A and Table B of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
 - (6) Details of Reserved Forest and Thimlapura Conservation Reserve Areas within Eco-sensitive Zone are appended as **Annexure-V**
2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Environment;
 - (ii) Forest and Wildlife;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Development;

- (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj; and
 - (xi) Public Works Department.
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, which are required for local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
- (v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include any change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

- (3) **Tourism or eco-tourism.**— (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:—

- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

- (4) **Natural heritage.**— All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.**— Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

- (6) **Noise pollution.**— Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

- (7) **Air pollution.**— Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

- (8) **Discharge of effluents.**— Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government, whichever is more stringent.

- (9) **Solid wastes.**— Disposal and Management of solid wastes shall be as under:—

- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

- (b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

- (a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.
- (b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

- (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

- (a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
- (b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
A. Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic

		needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Prohibited.
9.	Commercial use of fire wood.	Prohibited.
10.	New wood based industry.	Prohibited.
B. Regulated Activities		
11.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
12.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within 1 km from the boundary of the Thimlapura Wildlife Sanctuary or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential and local commercial use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-

		laws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) small scale industries not causing pollution termed as per classification done by the Central Pollution Control Board; (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting Eco-tourism including homestays; and (v) promotional activities listed in this notification. (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer it shall be regulated as per Zonal Master Plan.
13.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
19.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along	Permitted as per the applicable laws for use of locals.

	with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid Waste Management or Biomedical Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
30.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Bengaluru	Chairman, ex officio;
(ii)	Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madhugiri and Koratagere Constituencies, Tumakuru District	Member;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;

(v)	Representative of Non-governmental Organizations working in the field of natural conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka.	Member;
(vi)	The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board	Member;
(vii)	One expert in ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka.	Member;
(viii)	The Deputy Commissioner or his representative, Tumakuru District	Member;
(ix)	Member, State Biodiversity Board	Member;
(x)	The Deputy Conservator of Forests, Tumakuru Division, Tumakuru	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Monitoring Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under **paragraph 4** thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure VI.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.– The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. Orders.– The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/02/2020-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

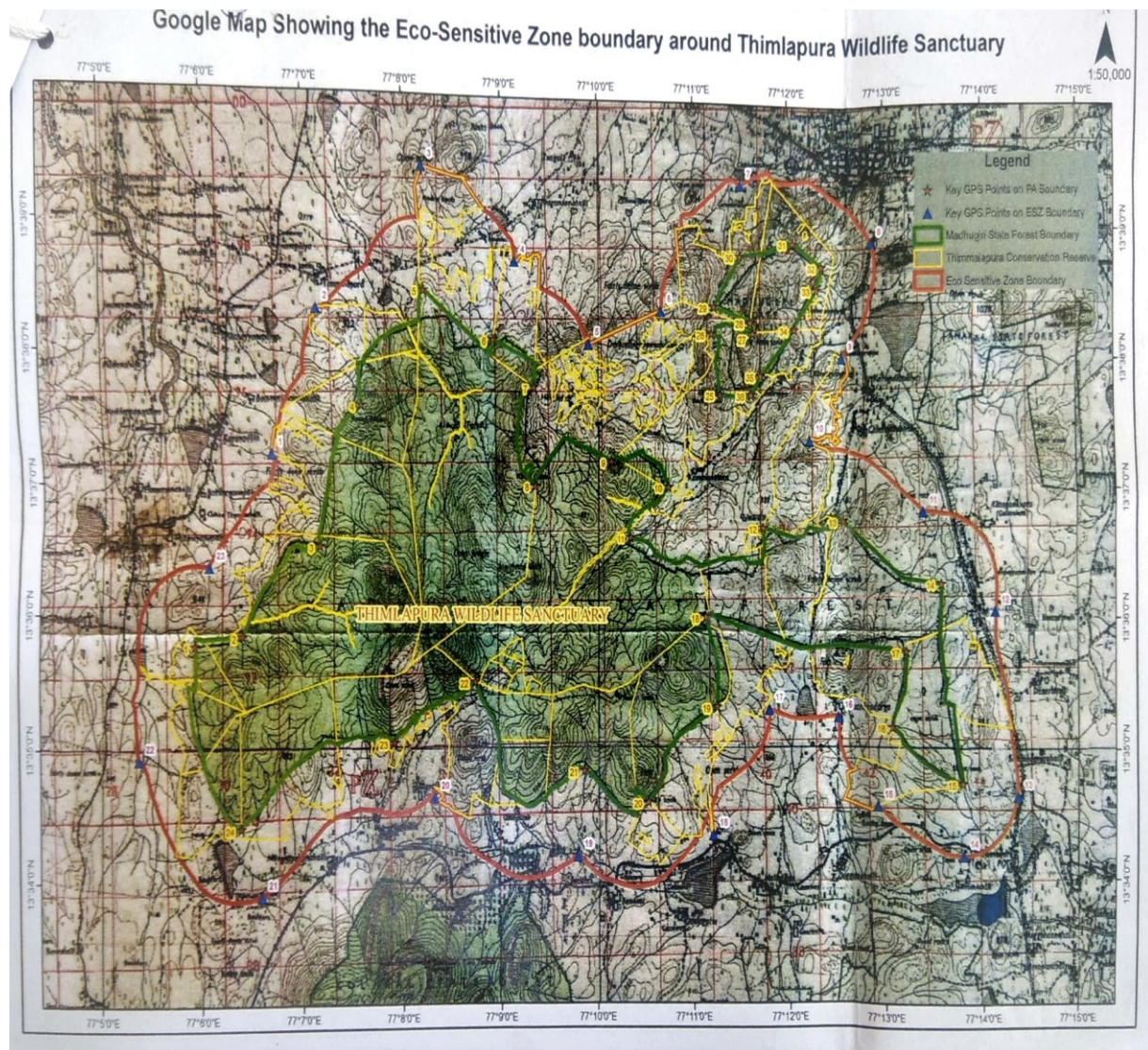
**BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND THIMLAPURA WILDLIFE
SANCTUARY IN THE STATE TAMIL NADU**

North:	The boundary line starts from a point on the common boundary of Kavandala and Bommethimmanahalli villages at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points on the Sanctuary boundary and passes along villages Bommethimmanahalli, Thimlapura, Sajjenahalli, Begurudasarahalli and Hosalli villages through a point with geo co-ordinates N 13 38 20.44 E 077 07 7.58 till it reaches a point on Hosalli on the boundary of Thimlapura Conservation Reserve. From this point the boundary line continuous on north, north-east, east and southeast direction on the boundary along Thimlapura Conservation Reserve through the Hosalli Village at a distance of 1 kilometer parallel to the outermost points on the Sanctuary boundary till it reaches a common point on the boundary of Hosalli and Thayingondanahalli Villages through a point with geo co-ordinates N 13 39 27.39 E 077 08 11.79 and further along the village boundary of Thayingondanahalli at a distance of 1 kilometer parallel to the outermost points on the Sanctuary boundary till it reaches a point with geo co-ordinates N 13 38 43.69 E 077 09 08.11 on the boundary of Thimlapura Conservation Reserve. Further, the line runs along the boundary of Thimlapura Conservation Reserve with respect to Thayingondanahalli village till it reaches a common point on the Thayingondanahalli village and Thungote villages the boundary of Thimlapura Conservation Reserve, then the line runs eastwards and southwards along the Thimlapura Conservation Reserve of the Thungote village at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost point on the Sanctuary boundary on Thungote village and further runs at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points on the Sanctuary boundary till it reaches a common point on the boundary of Thungote and J.I Kuppacharikoppa villages with geo co-ordinate N 13 38 06.37 E 077 09 54.42. Then continuous in north-east direction along the boundary of Thimlapura Conservation Reserve on J.I Kuppacharikoppa village till it reaches a point with geo co-ordinates N 13 38 21.98 E 077 10 39.81. From this point the line runs at a distance of 1 Kilometer parallel from the outermost points on the Sanctuary boundary on J.I Somlapura and Gurammanakatte villages till it reaches a point on the boundary of Thimlapura Conservation Reserve and continuous in north and east direction along the Thimlapura Conservation Reserve boundary and further runs at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points on the Sanctuary boundary till it reaches the common point on the boundary of Gurammanakatte and Madugiri villages through a point with geo co-ordinate N 13 39 21.65 E 077 11 30.48. From this point the line runs at a distance of 1 Kilometer from the outermost points parallel to the Sanctuary boundary through a point with geo co-ordinates N 13 38 54.77 E 077 12 53.36 on Madhugiri, Hariharakoppa and Kammanakote villages till it reaches a point on the boundary of Thimlapura Conservation Reserve with geo co-ordinates N 13 38 01.24 E 077 12 35.27.
East:	From the above point the boundary line continuous along the Thimlapura Conservation Reserve boundary till it reaches a point with geo co-ordinates N 13 37 22.66 E 077 12 14.23 on Jinakavajra village. Then the line runs in eastern direction along Thimlapura Conservation Reserve boundary for some distance and then runs at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points from the Sanctuary boundary of Jinakavajra village of Madhugiri Taluk through a point with geo co-

	ordinates N 13 36 48.97 E 077 13 25.09 till it reaches the common boundary of Madhugiri and Koratagere Taluk boundary at a point with geo co-ordinates N 13 36 2.71 E 077 14 8.63 on the common point of Jinakavajra and Dasarahalli villages boundary. From this point the line continuous at distance of 1 Kilometer parallel to the Sanctuary boundary on the Dasarahalli, Tumbadi, Biradenahalli and Byrenahalli villages of Koratagere Taluk till it reaches the common point on the Byrenahalli and Chennarayanadurga villages on the Thimlapura Conservation Reserve boundary and through the points with geo co-ordinates N 13 34 10.54 E 077 13 48.03 and N 13 34 37.85 E 077 14 21.74.
South:	From the above point with geo co-ordinates N 13 34 32.82 E 077 12 56.22 the boundary line runs along the Thimlapura Conservation Reserve boundary on Byrenahalli and Chennarayanadurga villages and further runs at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary on Chennarayanadurga village till it reaches a common point on the boundary of the Chennarayanadurga and Dogganahalli Villages through the points with geo co-ordinates N 13 35 14.07 E 077 12 32.07 and N 13 35 17.52 E 077 11 47.98. Further, the line runs at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary on the Dogganahalli village till it reaches the boundary of the Thimlapura Conservation Reserve and passes along the boundary of Thimlapura Conservation Reserve through a point with geo co-ordinates N 13 34 19.77 E 077 11 12.31. From this point the boundary line runs along Thimlapura Conservation Reserve boundary for some distance and further runs at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary through the Dogganahalli, Gowjagallu and Bendoni villages till it reaches a point with geo co-ordinates N 13 34 10.39 E 077 09 47.43 on the Bendoni village and further proceeds along the Bendoni village at a distance of 1 Kilometer parallel to the Sanctuary boundary till it reaches the common point on the Bendoni and Kumtenahalli villages at a distance of 1 Kilometer from the Sanctuary boundary. Further, the line runs at a distance of 1 Kilometer on the Boodagavi villages and on the Kolikal Reserve Forest and then the line passes along Boodagavi and Negalala villages at a distance of 1 Kilometer parallel to the Sanctuary boundary till it reaches a point on the boundary of Thimlapura Conservation Reserve at a distance of 1 Kilometer from the Sanctuary boundary and further passes along the boundary of Thimlapura Conservation Reserve on Negalala village till it reaches a point with geo co-ordinates N 13 34 37.36 E 77 08 18.62. Then the line passes at a distance of 1 Kilometer parallel to the Sanctuary boundary through the Negalala, Marinayakanahalli, Gattitimmanahalli and Kanivehosahalli villages of Koratagere Taluk through the geo co-ordinates N 13 33 53.42 E 077 06 35.06 till it reaches a common point on the boundary of Kanivehosahalli and Bisadikariyanapalya villages on the common point of Madhugiri and Koratagere Taluks at a point with geo co-ordinates N 13 34 54.84 E 077 05 21.84.
East:	From the above point the line runs along the Bisadikariyanapalya, Kuramkotethimmanapalya, Kathijogipalya, Shibaihanapalya, Chikkathimmanahalli and Kavandala villages of Madhugiri Taluk at a distance of 1 Kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary through a point with geo co-ordinates N 13 36 21.72 E 077 06 2.57 till it reaches a point on the Thimlapura Conservation Reserve boundary and continuous along the boundary of Thimlapura Conservation Reserve till it reaches the starting point.

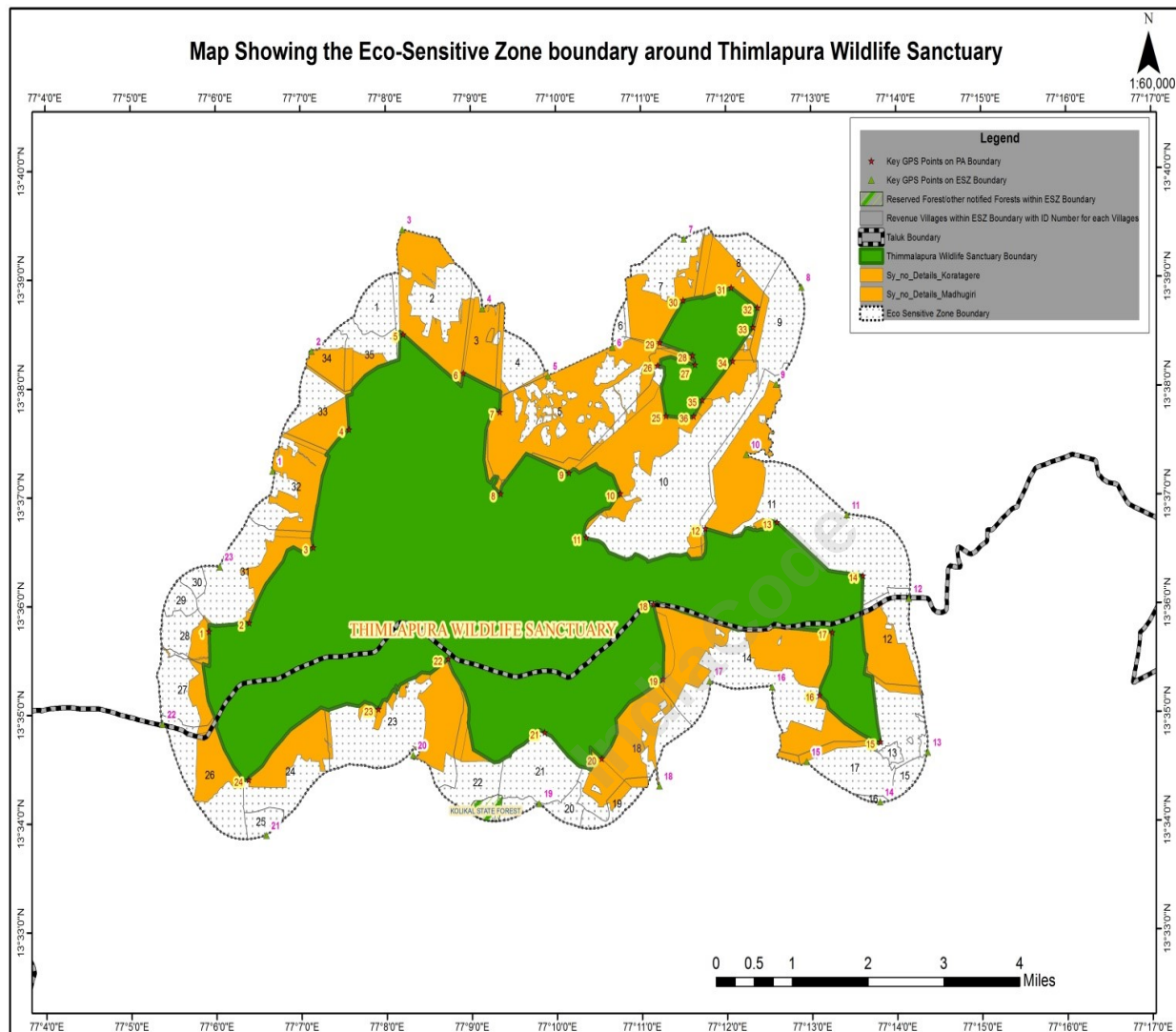
ANNEXURE- IIA

**GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THIMLAPURA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



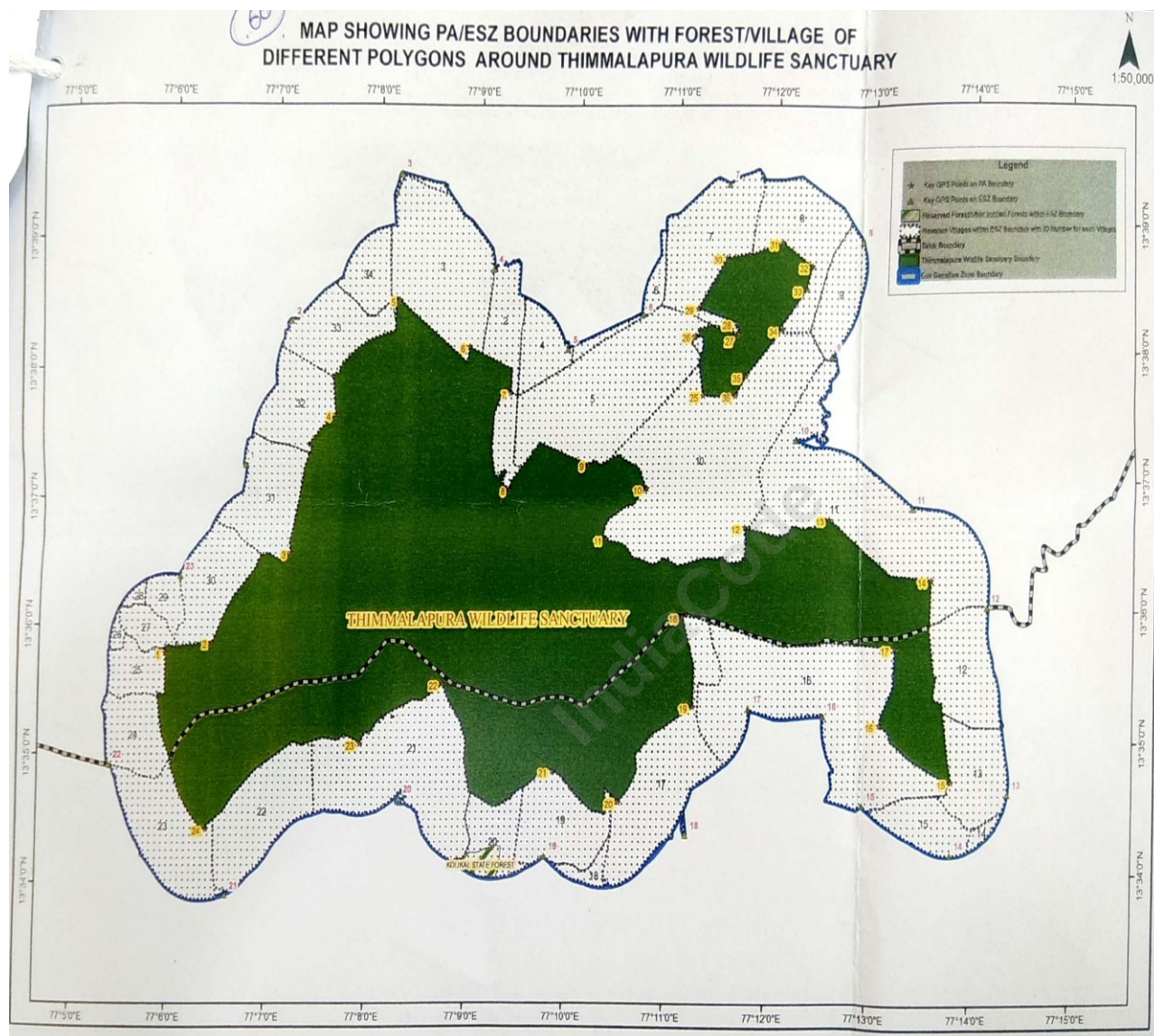
ANNEXURE- IIB

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF THIMLAPURA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

**MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF THIMLAPURA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH
LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS**



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF THIMLAPURA WILDLIFE SANCTUARY

Map ID	Latitude (E)			Longitude (N)		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	13	35	46.11	77	5	54.86
2	13	35	50.63	77	6	23.18
3	13	36	32.16	77	7	8.49
4	13	37	37.21	77	7	33.92
5	13	38	29.67	77	8	12.22
6	13	38	8.11	77	8	54.72
7	13	37	46.52	77	9	20.22
8	13	37	1.48	77	9	20.82
9	13	37	12.88	77	10	9.02
10	13	37	1.24	77	10	45.26
11	13	36	37.06	77	10	21.17
12	13	36	41.76	77	11	45.22
13	13	36	45.04	77	12	35.80
14	13	36	15.52	77	13	36.34
15	13	34	43.61	77	13	48.29
16	13	35	9.65	77	13	5.48
17	13	35	44.29	77	13	14.56
18	13	36	0.10	77	11	8.25
19	13	35	18.76	77	11	15.17
20	13	34	35.01	77	10	31.75
21	13	34	49.52	77	9	51.46
22	13	35	30.46	77	8	43.46
23	13	35	2.82	77	7	54.29
24	13	34	24.04	77	6	22.58
25	13	37	44.08	77	11	17.70
26	13	38	11.85	77	11	11.90
27	13	38	12.24	77	11	38.21
28	13	38	17.39	77	11	36.47
29	13	38	24.48	77	11	13.38
30	13	38	47.81	77	11	29.88

31	13	38	54.56	77	12	3.87
32	13	38	43.58	77	12	22.33
33	13	38	32.68	77	12	18.94
34	13	38	14.17	77	12	4.69
35	13	37	52.73	77	11	43.25
36	13	37	43.86	77	11	37.16

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Map ID	Latitude (E)			Longitude (N)		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	13	37	14.45	77	6	39.95
2	13	38	20.44	77	7	7.58
3	13	39	27.39	77	8	11.79
4	13	38	43.69	77	9	8.11
5	13	38	6.37	77	9	54.42
6	13	38	21.98	77	10	39.81
7	13	39	21.65	77	11	30.48
8	13	38	54.77	77	12	53.36
9	13	38	1.24	77	12	35.27
10	13	37	22.66	77	12	14.23
11	13	36	48.97	77	13	25.09
12	13	36	2.71	77	14	8.63
13	13	34	10.54	77	13	48.03
14	13	34	37.85	77	14	21.74
15	13	34	32.82	77	12	56.22
16	13	35	14.07	77	12	32.07
17	13	35	17.52	77	11	47.98
18	13	34	19.77	77	11	12.31
19	13	34	10.39	77	9	47.43
20	13	34	37.36	77	8	18.62
21	13	33	53.42	77	6	35.06
22	13	34	54.84	77	5	21.84
23	13	36	21.72	77	6	2.57

ANNEXURE-IV

**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF THIMLAPURA WILDLIFE
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Map id	Village name	Taluk	Area (ha.)	Longitude			Latitude		
				Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	Beguru Dasarahalli	Madhugiri	66.43	77	7	53.94	13	38	44.07
2	Hosahalli	Madhugiri	307.44	77	8	33.89	13	38	44.70
3	Thayigondanahalli	Madhugiri	93.35	77	9	7.50	13	38	25.87
4	Thungote	Madhugiri	84.07	77	9	30.68	13	38	15.17
5	J.I.Kuppacharikoppa	Madhugiri	464.09	77	10	9.29	13	37	49.22
6	J.I.Somalapura	Madhugiri	11.62	77	10	41.65	13	38	32.09
7	Gurammanakatte	Madhugiri	206.01	77	11	14.97	13	38	55.28
8	Madhugiri	Madhugiri	164.34	77	12	7.37	13	39	4.35
9	Hariharakoppa	Madhugiri	147.92	77	12	37.08	13	38	35.26
10	Kammanakote	Madhugiri	723.82	77	11	16.26	13	37	17.70
11	Jinakavajra	Madhugiri	599.98	77	12	49.41	13	36	54.47
12	Dasarahalli	Koratagere	157.15	77	13	55.46	13	35	40.30
13	Pemmodevarahalli	Koratagere	20.74	77	14	5.11	13	34	41.29
14	Chennarayadurga	Koratagere	680.55	77	12	36.19	13	35	17.27
15	Thumbadi	Koratagere	27.72	77	14	7.16	13	34	24.89
16	Biradenahalli	Koratagere	5.47	77	13	43.06	13	34	12.36
17	Byrenahalli	Koratagere	128.92	77	13	29.25	13	34	29.37
18	Dogganahalli	Koratagere	238.38	77	10	55.37	13	34	40.52
19	Gowjagallu	Koratagere	46.95	77	10	42.25	13	34	10.61
20	Bendoni	Koratagere	57.05	77	9	50.65	13	34	8.09
21	Kumutenahalli	Koratagere	146.60	77	9	47.28	13	34	28.08
22	Boodigadhi	Koratagere	123.42	77	9	1.27	13	34	26.09
23	Negalala	Koratagere	371.64	77	8	10.88	13	34	52.86
24	Marinayakanahalli	Koratagere	187.95	77	6	52.00	13	34	30.55
25	Gattithimmanahalli	Koratagere	31.92	77	6	32.58	13	34	0.79
26	Kanivehosahalli	Koratagere	198.52	77	5	54.98	13	34	26.75
27	Bisadikariyanapalya	Madhugiri	114.93	77	5	36.71	13	35	13.77
28	Kurumkotethimmanapalya	Madhugiri	72.99	77	5	39.20	13	35	43.79
29	Katthijogipalya	Madhugiri	28.97	77	5	34.92	13	36	3.28
30	Shibaahanapalya	Madhugiri	17.75	77	5	45.17	13	36	13.74
31	Chikkathimmanahalli	Madhugiri	220.72	77	6	21.37	13	36	18.54

32	Kavanadala	Madhugiri	173.00	77	6	54.49	13	37	5.68
33	Bommethimmenahalli	Madhugiri	124.43	77	7	13.02	13	37	47.13
34	Thimmalapura	Madhugiri	50.73	77	7	21.03	13	38	16.12
35	Sajjenahalli	Madhugiri	84.72	77	7	45.64	13	38	19.66
Total			6180.27						

ANNEXURE-V

**Details of Reserved Forest and Thimlapura Conservation Reserve Areas within Eco-sensitive Zone around
Thimlapura Wildlife Sanctuary**

Name of the Reserve Forest	Taluk	Extent in (square kilometers)	Notification Number
Kolikal Reserve Forest	Koratagere	0.2282	Forest Department Notification 6 th June 1894

Name of the Conservation Reserve	Taluk	Extent in (square kilometers)	Notification Number
Thimlapura Conservation Reserve	Madhugiri and Koratagere	17.3822	No. FEE 301 FWL 2015-2 dated the 16 th January, 2016

ANNEXURE –VI

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.